निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1944 (श0)

(सं0 पटना 588) पटना, शुक्रवार, 5 अगस्त 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

23 जून 2022

सं० 27/मुक०–05–05/2021–सा०प्र०–10309––माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–10456/2020 में दिनांक 25.01.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.01.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"The petitioner is entitled to regulate his suspension period and payment of salary only as and when disciplinary proceedings or criminal proceedings whichever is pending is completed, therefore, the petitioner is not entitled for the regulation of suspension period and full salary from the date of suspension. If the petitioner is not eligible for any arrears of salary for the other than suspension period, in that regard, necessary speaking order shall be passed and communicated to the petitioner. If petitioner is otherwise eligible for arrears of salary during the period from 22.08.2017 to 04.12.2018, the same shall be calculated and disbursed."

2. माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश दिनांक 25.01.2022 के आलोक में वादी श्री प्रभाष कुमार द्वारा निम्नांकित लाभ देने का अनुरोध किया गया है :–

(i) माह फरवरी, 2022 से जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) 50% से बढ़ाकर 75% किया जाय;

(ii) दिनांक 04.10.2019 से लेकर जनवरी, 2022 तक 75% जीवन निर्वाह भत्ता के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जाय;

(iii) दिनांक 22.08.2017 से दिनांक 04.12.2018 तक बकाया वेतन की राशि का भुगतान किया जाय; और

(iv) निलंबन के पूर्व के कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पीरो द्वारा दिनांक 23.01.2018 को निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अंकित बकाये वेतन, महँगाई भत्ता आदि के भुगतान हेतु आयुक्त के सचिव, पटना, प्रमण्डल, पटना, बिहार को निर्देशित किया जाय।

3. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पीरो के कार्यालय द्वारा निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी श्री प्रभाष कुमार को निम्नांकित अवधि के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है:–

(i) (a) माह फरवरी 2012 (b) फरवरी 2013 (c) नवम्बर 2014 (d) दिसम्बर 2014 (e) जनवरी 2015 (f) फरवरी 2015 (g) फरवरी 2017

(ii) दिनांक 28.10.2014 से दिनांक 31.10.2014 (चार दिन)

(iii) दिनांक 01.06.2017 से दिनांक 13.06.2017 (तेरह दिन)

(iv) छठा वेतनमान में पुनरीक्षण के फलस्वरूप अंतर राशि का किस्त

(v) माह जनवरी 2012 से जून 2012 तक महंगाई भत्ता की अन्तर राशि (7%) एवं माह जनवरी से जून 2013 तक महंगाई भत्ता का अन्तर राशि (8%)

4. उल्लेखनीय है कि वादी श्री प्रभाष कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–894 / 11, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पीरो भोजपुर के पद पर पदस्थापित थे। इन्हें निगरानी धावादल द्वारा दिनांक 14.06.2017 को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजा गया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर विभागीय संकल्प संख्या–8300 दिनांक–07.07.2017 द्वारा कारा संसीमन की तिथि 14.06.2017 से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया गया।

5. कालान्तर में जमानत पर रिहा होकर उन्होंने दिनांक 22.08.2017 को निर्धारित मुख्यालय (आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना) में योगदान किया एवं निलंबन मुक्त करते हुए पदस्थापन करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात्, उन्होंने निलंबन आदेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–3465 / 2018 दायर किया, जिसमें पारित न्यायादेश दिनांक 13.09.2018 द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–8300 दिनांक 07.07.2017 को त्रुटिपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया गया।

6. न्यायादेश दिनांक 13.09.2018 के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–15873 दिनांक–05.12.2018 द्वारा पूर्व के संकल्प ज्ञापांक–8300 दिनांक–07.07.2017 को निरस्त किया गया एवं आपराधिक मामले में दिनांक 14.06.2017 से 21.06.2017 तक काराधीन अवधि में निलंबित समझे जायेंगे, का संकल्प निर्गत किया गया तथा संकल्प संख्या 15885 दिनांक 05.12.2018 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) में निहित प्रावधानों के आलोक में संकल्प निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया गया।

7. चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में संकल्प संख्या 8300 दिनांक 07.07.2017 को निरस्त करते हुए केवल काराधीन अवधि के लिए निलंबित रहने से संबंधित संकल्प संख्या 15873 दिनांक 05.12.2018 निर्गत किया गया एवं संकल्प संख्या 15885 दिनांक 05.12.2018 द्वारा पुनः आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित कर दिया गया। अतएव, श्री कुमार दिनांक 22.08.2017 से दिनांक 04.12.2018 तक बिना प्रभार के रहे।

(क) अतएव प्रासंगिक मामले में दिनांक 22.08.2017 से दिनांक 04.12.2018 तक को कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित करते हुए विभागीय पत्रांक 10248 दिनांक 22.06.2022 द्वारा वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को श्री प्रभाष कुमार के पक्ष में वेतन पर्ची निर्गत करने का अनुरोध किया जा चुका है।

(ख) श्री कुमार द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता को वर्धित 75% दर से भुगतान किये जाने संबंधी अनुरोध को आरोप की गंभीरता के मद्देनजर अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्रनाथ चौधरी,
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 588-571+10-**डी0टी0पी0।**

Website: http://egazette.bih.nic.in